

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना दिनांक 17/04/2018

14/एम7-91/2012-उ०शि० 510-A/ अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान अधिनियम-1964 (बिहार राज्य अधिनियम संख्या-06/1989 द्वारा यथा संशोधित) की धारा-5 (i) (g) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री आर०के० सिन्हा, कुलपति नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना को अधिसूचना निर्गत की तिथि से दो वर्षों के लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में नियंत्रण पर्वद के लिए सदस्य मनोनीत किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति नियंत्रण पर्वद को दे दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 14/एम7-91/2012-उ०शि० 510-A/

पटना, दिनांक 17/04/2018

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 14/एम7-91/2012-उ०शि० 510-A/

पटना, दिनांक 17/04/2018

प्रतिलिपि:- श्री आर०के० सिन्हा, कुलपति नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना/ महामहिम राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/ निदेशक, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना/ निदेशक, उच्च शिक्षा/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

सरकार के अपर सचिव